

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची ।

विज्ञापन संख्या-01 / 2025

राँची जिला में नवनामांकन के लिए विज्ञापन ।

1. राँची जिला में गृह रक्षकों के नवनामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ONLINE आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग जमा करेंगे।

नोट :- “गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। “यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है”। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर हों”।

2. गृह रक्षक के रूप में नवनामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है, यह औपबंधिक संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्र0	ग्रामीण प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान बल	रिक्ति		कुल रिक्ति
				पुरुष	महिला	
1.	कांके	110	35	38	37	75
2.	रातु	110	76	17	17	34
3.	चान्हो	110	66	22	22	44
4.	माण्डर	110	72	19	19	38
5.	लापुंग	110	72	19	19	38
6.	बुढमू	110	35	38	37	75
7.	बेड़ो	110	89	11	10	21
8.	नामकुम	110	28	41	41	82
9.	अनगढ़ा	110	17	47	46	93
10.	सिल्ली	110	22	44	44	88
11.	खलारी	110	00	55	55	110
12.	नगड़ी	110	00	55	55	110
13.	इटकी	110	03	54	53	107
14.	राहे	110	58	26	26	52
15.	बुण्डू	110	26	42	42	84
16.	सोनाहातु	110	22	44	44	88
17.	तमाड़	110	32	39	39	78
18.	ओरमांझी	110	51	30	29	59
कुल =		1980	704	641	635	1276

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्र०	ग्रामीण प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान बल	रिक्ति		कुल रिक्ति
				पुरुष	महिला	
1.	शहरी	1257	919	169	169	338

उपरोक्त दोनों कोटियों (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 05 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 05 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

भाहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर-तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक-दूसरे से भरी जायेगी।

3. अर्हता :-

(क) आवासीय :-

- ग्रामीण गृह रक्षक :-** अभ्यर्थी को राँची जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ONLINE आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।
- शहरी गृह रक्षक :-** अभ्यर्थी को राँची जिला के उस शहरी क्षेत्र (नगर निगम, राँची) का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ख) उम्र सीमा :- 01.01.2025 को 19 से 40 वर्ष। (जन्म तिथि दिनांक-01.01.1985 से 31.12.2005 के बीच) (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

नोट :- जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात 1) जन्म प्रमाण-पत्र (यदि है तो) 2) मैट्रिक एवं उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो (यथा-आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/जन्म प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट आदि) प्रमाण-पत्र ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ग) शैक्षणिक योग्यता :-

- ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास एवं उच्चतर संबंधित।
- भाहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास एवं उच्चतर संबंधित।
(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत भौक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(घ) शारीरिक मापदंड :- (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए सामान्य)

- लम्बाई :- पुरुष - 162 से 0मी0 (सामान्य/ओ0बी0सी0/बी0सी0)
157 से 0मी0 (ओ0ज0जा0/ओ0जा0)

	महिला —	148 सेमी० (सभी के लिए)
(ii) सीना :—	पुरुष —	79 सेमी० (सामान्य/ओ०बी०सी०/बी०सी०)
		76 सेमी० (अ०ज०जा०/अ०जा०)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ड) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :- अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा :-

चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राधानाध्यापक, नर्स, कम्प्युटर ऑपरेटर, टंकक, लाईसेंसधारी चालक (एच०एम०बी०/एल०एम०बी०) रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर आदि। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत भौक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

4. चयन प्रक्रिया :- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या-5442, दिनांक-20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी :-

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा :- इसके अन्तर्गत 01 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर-तकनीकी भाहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (01 मील)	5 मिनट या पहले — 20 अंक 5 मिनट से 6 मिनट तक — 10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले — 20 अंक 8 मिनट से 10 मिनट तक — 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट — 5 अंक (ख) 4' — 4'3" — 6 अंक (ग) 4'3" — 4'6" — 7 अंक (घ) 4'6" — 4'9" — 8 अंक (ङ) 4'9" — 5' — 9 अंक (च) 5' से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट — 5 अंक (ख) 3' — 3'3" — 6 अंक (ग) 3'3" — 3'6" — 7 अंक (घ) 3'6" — 3'9" — 8 अंक (ङ) 3'9" — 4' — 9 अंक (च) 4' से अधिक — 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट — 5 अंक (ख) 12' — 13' — 6 अंक (ग) 13' — 14' — 7 अंक (घ) 14' — 15' — 8 अंक (ङ) 15' — 16' — 9 अंक (च) 16' से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 09 फीट — 5 अंक (ख) 09' — 10' — 6 अंक (ग) 10' — 11' — 7 अंक (घ) 11' — 12' — 8 अंक (ङ) 12' — 13' — 9 अंक (च) 13' से अधिक — 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड — न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड — न्यूनतम 10 फीट

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (01 मील)	6 मिनट या पहले — 20 अंक 6 मिनट से 8 मिनट तक — 10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले	8 मिनट या पहले — 20 अंक 8 मिनट से 12 मिनट तक — 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य

	अयोग्य माने जायेंगे।	माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट — 5 अंक (ख) 4' से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट — 5 अंक (ख) 3' से अधिक — 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट — 5 अंक (ख) 10' और अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट — 5 अंक (ख) 7' और अधिक — 10 अंक
भाँट पूट	16 पौण्ड — न्यूनतम 12 फीट	10 पौण्ड — न्यूनतम 8 फीट

(ख) हिन्दी लेखन-क्षमता परीक्षा :- शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में भागिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा भाहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तरानुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :- शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं, उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	06 अंक	03 अंक
द्वितीय	04 अंक	02 अंक
तृतीय	02 अंक	01 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को भौक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिये जायेंगे :-

स्नातकोत्तर	— 10 अंक
स्नातक	— 08 अंक
इण्टरमिडिएट	— 06 अंक
मैट्रिक	— 04 अंक

7. आवेदन कैसे जमा करें :- आवेदक केवल **NIC RANCHI** के द्वारा उपलब्ध कराये गये **rpotalhg.egovran.in** पर ही दिनांक-15.06.2025 से दिनांक-30.06.2025 तक अपना आवेदन ONLINE कर पायेंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा OFFLINE/BY POST कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन भुल्क की राशि मात्र **200-/-** रु० है, जो ऑनलाईन **rpotalhg.egovran.in** में उपलब्ध LINK से ही ONLINE भुगतान करना अनिवार्य होगा।
8. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

9. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
10. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
11. आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची से सम्पर्क स्थापित करेंगे।
12. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है।
13. जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जायेगा साथ ही उक्त आवेदक के विरुद्ध अनुपासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
15. प्रस्तावित नव-नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, माननीय उच्च न्यायालय, राँची का निर्गत न्यादेश एवं अनुकम्पा के आधार पर मुख्यालय, राँची भेजे गये प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने संबंधी कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखण्ड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्ति घट जायेगी।

जिला समादेश्टा,
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी
राँची।

वरीय पुलिस अधीक्षक
राँची।

उपायुक्त
राँची।